

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार

स्व आवेदन सं. 267/2022

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये
पटवारी महाबार

पुरखाराम कूकणा निवासी जोगेसर
कुंआ, गरल, जोगेन्द्र चौधरी

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी - पटवारी हल्का महाबार।

2. विप्रार्थी - अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27.01.2023

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का महाबार द्वारा 19.10.2022 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2079 के दौरान ग्राम महाबार के खसरा नम्बर 3321/244 रकबा 8.0937 हैक्ट किस्म बा.दो. भूमि में से 2100 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी को जारी नोटिस की प्रति की विप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित भूखंड पर चरस्पानगी की रिपोर्ट प्राप्त। प्रकरण में आईदानराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि के संबंध में बताया है कि उक्त भूमि उनके द्वारा पुरखाराम चौधरी से खरीद की गई है एवं उक्त भूमि पर उन्हीं का कब्जा है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, उससे स्पष्ट है कि आईदानराम द्वारा कय की गई भूमि खसरा संख्या 91 से संबंधित है एवं प्रकरण में विवादित भूमि खसरा संख्या 3321/244 राजकीय भूमि है। उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। विप्रार्थी द्वारा नोटिस तामील होने के बाद व कई अवसर प्रदान करने के बावजूद भी प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थिति नहीं दी गई। लिहाजा प्रकरण में विप्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत बयान अनुसार उक्त खसरा संख्या 3321/244 की भूमि राजकीय भूमि है एवं उक्त भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अनधिकृत कब्जा किया गया जो कि हटाया जाना उचित है।

BM-

2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड एवं हल्का पटवारी के बयान का अवलोकन किया। हल्का पटवारी के बयान अनुसार उक्त खसरा संख्या 3321/244 की भूमि राजकीय भूमि है जिससे ये साबित होता है कि विप्रार्थी ने राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है।
3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 0.06 का 50 गुणा रुपये 3/- (अक्षरे तीन रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
4. भू-अभिलेख निरीक्षक गरल एवं पटवारी महाबार को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि वसूलते हुए उक्त राशि राजकोष में जमा करावे। भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का तथा तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश कुमार)

तहसीलदार बाड़मेर